न्यायालय सहायक कलक्टर, दीगोद (कोटा)

उनवान संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
95 / 18	23.08.2018	19/12/2019

पीठासीन अधिकारी – जबर सिंह (R.A.S.)

उनवान

1. बाबूलाल आत्मज किशनलाल
2. प्रहलाद आत्मज किशनलाल जाति गुर्जर, निवासीगण ग्राम खेडलीघाटा, तहसील दीगोद जिला कोटा

– वादीगण

बनाम

1. बालमुकुन्द आत्मज किशनलाल
2. गोविन्द प्रसाद आत्मज किशनलाल
3. मुकेश आत्मज किशनलाल
4. सीताबाई बेवा किशनलाल
5. पार्वती बाई पुत्री किशनलाल
6. दाखा बाई पुत्री किशनलाल
7. रोशन बाई पुत्री किशनलाल जाति गुर्जर, निवासीगण ग्राम खेडलीघाटा तहसील दीगोद जिला कोटा
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88–89 आर.टी.एक्ट

उपस्थित – श्री शिवप्रसाद शर्मा एडवोकेट वादी की ओर से
– श्री रामबाबू दाधीच एडवोकेट प्रतिवादी नं0 1 ता 7 की ओर से

निर्णय

वादीगण ने वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88–89 आरटीएक्ट, इस कथन के साथ पेश किया कि ग्राम खेडलीघाटा तहसील दीगोद में ख0नं0 27 रकबा 1.41 हे0, ख0नं0 28 रकबा 0.01 हे0, ख0नं0 146 रकबा 0.11 हे0, ख0नं0 147 रकबा 0.98 हे0 कुल किता 4 रकबा 2.51 हे0 भूमि वादीगण व प्रतिवादी नं0 1 लगायत 7 के पिता किशना पुत्र बिरधा के खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। बिरधा के कोई पुत्र नहीं नहीं होनें से व किशनलाल द्वारा उनकी सेंवा सुश्रुषा पुत्र की हैसियत से करनें व पगडी बंधनें से उनके खातें की आराजी किशनलाल के नाम दर्ज हुई। ग्राम खेडली धाकडान तहसील दीगोद में ख0नं0 158 रकबा 0.74 हे0, ख0नं0 159 रकबा 1.00 हे0 कुल किता 2 रकबा 1.74 हे0 भूमि वादीगण व प्रतिवादी नं0 1 लगायत 7 के पिता किशनलाल आत्मज रामसुख के शामलाती खातेंदारी में दर्ज चली आ रही है। उपरोक्त भूमि पर किशनलाल का कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा उनकी मृत्यु के बाद वादीगण व प्रतिवादी नं0 1 ता 7 का कब्जा चला आ रहा है। किशनलाल की मृत्यु दिनांक 28.06.2016 को हो गई है, परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में किशनलाल पुत्र बिरधा व किशनलाल पुत्र रामसुख होनें से वादीगण व प्रतिवादी नं0 1 ता 7 के नाम इंतकाल दर्ज नहीं हो रहा है जबकि किशनलाल आत्मज बिरधा व किशनलाल आत्मज रामसुख एक ही व्यक्ति है, जो वादीगण एवं प्रतिवादी नं0 1 ता 7 के पिता है, जिनकी मृत्यु दिनांक 28.06.2016 को

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
दीगोद (कोटा)

Scanned by CamScanner

हो गई है। वादीगण व प्रतिवादी नं0 1 ता 7 को वादपत्र की मद नं0 1 व 2 मे वर्णित आराजीयात में किशनलाल के स्थान पर खातेदार घोषित किया जाना आवश्यक है। वाद कारण प्रतिवादी नं0 8 व उसके अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा उक्त पिता की वल्दियत के आधार पर न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर खातेदार घोषित होकर खातेदार घोषणा की डिक्री लाने को कहने पर दिनांक 27.07.2018 को उत्पन्न हुआ।

वाद प्रस्तुत कर वादीगण ने निवेदन किया कि वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के खिलाफ निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावें– ग्राम खेडलीघाटा तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 27 रकबा 1.41 हे0, ख0नं0 28 रकबा 0.01 हे0, ख0नं0 146 रकबा 0.11 हे0, ख0नं0 147 रकबा 0.98 हे0 कुल किता 4 रकबा 2.51 हे0 भूमि ग्राम खेडली धाकडान तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 158 रकबा 0.74 हे0, ख0नं0 159 रकबा 1.00 हे0 कुल किता 2 रकबा 1.74 हे0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में किशनलाल के स्थान पर वादीगण व प्रतिवादी नं0 1 लगायत 7 को समभाग में सहखातेदार घोषित किया जावें तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावें तथा अन्य न्यायोचित सहायता सहित प्रदान की जावें।

दस्तावेजी साक्ष्य में वादीगण द्वारा निम्न साक्ष्य प्रस्तुत किये–

1. प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम खेडलीघाटा सं0 2070–73 खाता नं0 10
2. प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम खेडली धाकडान सं0 2070–73 खाता नं0 23
3. छायाप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र किशनलाल दिनांक 22.07.2016
4. छायाप्रति प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत अमरपुरा दिनांक 18.09.2016
5. छायाप्रति राशन कार्ड किशनलाल गुर्जर
6. छायाप्रति शोक संदेश किशनलाल
7. छायाप्रति आधार कार्ड किशनलाल पुत्र बिरधा
8. छायाप्रति आधार कार्ड बाबूलाल पुत्र किशनलाल, प्रहलाद पुत्र किशनलाल, बालमुकुन्द पुत्र किशनलाल, गोविन्द प्रसाद पुत्र किशनलाल, मुकेश पुत्र किशनलाल, पार्वती पत्नी शिव, दाखा पत्नी प्रशान्त कुमार, रोशनबाई पत्नी भीमराज
9. प्रार्थना पत्र न्याय आपके द्वारा शिविर अमरपुरा बाबत् इन्तकाल दर्ज किये जानें बाबत् दिनांक 30.05.2018
10. शपथ पत्र बालमुकुन्द पुत्र किशनलाल आयु 45 वर्ष, गोविन्द प्रसाद पुत्र किशनलाल आयु 43 वर्ष, मुकेश पुत्र किशनलाल आयु 35 वर्ष जाति गूजर निवासीगण खेडली घाटा तहसील दीगोद जिला कोटा
11. शपथ पत्र बाबूलाल पुत्र किशनलाल आयु 61 वर्ष, प्रहलाद पुत्र किशनलाल आयु 45 वर्ष जाति गूजर निवासीगण खेडलीघाटा तहसील दीगोद जिला कोटा
12. शपथ पत्र हीरालाल पुत्र श्रीलाल जाति मेघवाल आयु 60 वर्ष निवासी खेडलीघाटा तहसील दीगोद जिला कोटा
13. शपथ पत्र अजीज पुत्र हसन खां आयु 70 वर्ष जाति मुसलमान निवासी खेडलीघाटा तहसील दीगोद जिला कोटा
14. शपथ पत्र रामलाल पुत्र बिरधीलाल जाति मीणा आयु 55 वर्ष निवासी खेडलीघाटा तहसील दीगोद जिला कोटा

उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं कार्यपालक दण्डनायक दीगोद (कोटा)

Scanned by CamScanner

वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी नं0 1 की ओर से वकील श्री रामबाबू दाधीच का वकालतनामा प्रस्तुत हुआ। वादीगण की ओर से प्रकरण में साक्ष्य के रूप में शपथ पत्र प्रस्तुत किये है, शपथ पत्रों में उल्लेख किया गया है कि बिरधा के कोई पुत्र नही होने से वादीगण के पिता किशनलाल को गोद लिया था जिससे बिरधा की खातेदारी आराजी मे किशनलाल पुत्र बिरधा अंकित कर दिया तथा किशनलाल के प्राकृतिक पिता रामसुख की आराजी मे किशनलाल पुत्र रामसुख अंकित कर दिया गया। प्रकरणाधीन भूमि ग्राम खेडलीघाटा तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 27 रकबा 1.41 हे0, ख0नं0 28 रकबा 0.01 हे0, ख0नं0 146 रकबा 0.11 हे0, ख0नं0 147 रकबा 0.98 हे0 कुल किता 4 रकबा 2.51 हे0 भूमि वर्तमान में किशना पुत्र बिरधा की खातेदारी में तथा ग्राम खेडली धाकडान तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 158 रकबा 0.74 हे0, ख0नं0 159 रकबा 1.00 हे0 कुल किता 2 रकबा 1.74 हे0 भूमि किशनलाल पुत्र रामसुख की संयुक्त खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। चूंकि वादीगण के पिता किशनलाल की मृत्यु हो चुकी है तथा राजस्व रिकॉर्ड में किशनलाल की वल्दियत दोनों खाता नम्बरान् में पृथक–पृथक दर्ज होनें से वादीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो पा रहे है, जबकि वादीगण के पिता किशनलाल की खातेदारी आराजी के वादीगण व प्रतिवादी नं0 1 ता 7 खातेदार घोषित होने के अधिकारी है।

लिहाजा वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि वादगत आराजी वाके ग्राम खेडलीघाटा तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 27 रकबा 1.41 हे0, ख0नं0 28 रकबा 0.01 हे0, ख0नं0 146 रकबा 0.11 हे0, ख0नं0 147 रकबा 0.98 हे0 कुल किता 4 रकबा 2.51 हे0 भूमि ग्राम खेडली धाकडान तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 158 रकबा 0.74 हे0, ख0नं0 159 रकबा 1.00 हे0 कुल किता 2 रकबा 1.74 हे0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में किशनलाल के स्थान पर वादीगण व प्रतिवादी नं0 1 लगायत 7 को समभाग में सहखातेदार घोषित किया जाता है, शेष यथावत् रहेगा। तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी हों। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनॉक 19/12/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(जबर सिंह)
सहायक कलक्टर,
दीगोद

Scanned by CamScanner

अन्तिम डिक्री मुकदमा
(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा

उनवान

1. बाबूलाल आत्मज किशनलाल
2. प्रहलाद आत्मज किशनलाल जाति गुर्जर, निवासीगण ग्राम खेडलीघाटा, तहसील दीगोद जिला कोटा

– वादीगण

बनाम

1. बालमुकुन्द आत्मज किशनलाल
2. गोविन्द प्रसाद आत्मज किशनलाल
3. मुकेश आत्मज किशनलाल
4. सीताबाई बेवा किशनलाल
5. पार्वती बाई पुत्री किशनलाल
6. दाखा बाई पुत्री किशनलाल
7. रोशन बाई पुत्री किशनलाल जाति गुर्जर, निवासीगण ग्राम खेडलीघाटा तहसील दीगोद जिला कोटा
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88–89 आर.टी.एक्ट
मिसल नम्बर–95 / 18

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू मुझ जबर सिंह आर.ए.एस. बहाजिरी श्री शिवप्रसाद शर्मा एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रुबरु मिनजानिब श्री रामबाबू दाधीच एडवोकेट मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि "वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि वादगत आराजी वाके ग्राम खेडलीघाटा तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 27 रकबा 1.41 हे0, ख0नं0 28 रकबा 0.01 हे0, ख0नं0 146 रकबा 0.11 हे0, ख0नं0 147 रकबा 0.98 हे0 कुल किता 4 रकबा 2.51 हे0 भूमि ग्राम खेडली धाकडान तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 158 रकबा 0.74 हे0, ख0नं0 159 रकबा 1.00 हे0 कुल किता 2 रकबा 1.74 हे0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में किशनलाल के स्थान पर वादीगण व प्रतिवादी नं0 1 लगायत 7 को समभाग में सहखातेदार घोषित किया जाता है, शेष यथावत् रहेगा।" तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर अदालत से आज दिनांक 13/12/2019 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
दीगोद (कोटा)

Scanned by CamScanner

महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना–अपना वहन करेंगे।

(जबर सिंह)
सहायक कलेक्टर, एवं
कार्यपदीगोद ...
पीपाड़ ...

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Jabar Singh
Date: 2019.12.21 13:29:23 IST
Reason: SelfAttested
Location: